

अधिसूचना

राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प दिनांक 23.07.1998 द्वारा "मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994" (अधिनियम संख्या-42 सन् 1994) को अंगीकार किया गया है। तदनुक्रम में अधिनियम-1994 उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी है।

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम-2011 (अधिनियम संख्या-16/2011) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत "मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम-2014" को उत्तर प्रदेश में यथावत् लागू किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा० अनिता मटनागर जैन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2247(1)/71-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र०।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
4. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, इटावा।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ, उ०प्र० लखनऊ।
9. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
11. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा/निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
12. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
14. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अशासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करारकर 500 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाइल।

अज्ञा से,
(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

4203

AD(MB)/A03

03-7-17

AD
4-7-17